

फर्द अहकाम
(नियम 26)


अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

लिलाधर उर्फ लिलुराम बनाम स्टेट

किस्म मुकदमा : 136 LRA

प्रकरण संख्या 19 / 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
10.07.2023	<p>प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की रोही मौजा 14 जेएसएन के खाता स0 55/54 व 57/52 तथा रोही मौजा 15 जेएसएन बी के खाता स0 165/158 में मुझ प्रार्थी का नाम लिलुराम उर्फ लिलाधर दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम लिलाधर उर्फ लिलुराम है।</p> <p>प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम लिलाधर दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम लिलाधर उर्फ लिलुराम दर्ज करवाना चाहता है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।</p> <p>पटवारी की जांच के अनुसार प्रार्थी का नाम लिलाधर उर्फ लिलुराम है तथा नाम संशोधन की अनुशंषा की गई है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम लिलुराम उर्फ लिलाधर दर्ज है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम लिलाधर दर्ज है।</p> <p>प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 14 जेएसएन के खाता स0 55/54 व 57/52 तथा रोही मौजा 15 जेएसएन बी के खाता स0 165/158 में प्रार्थी का नाम लिलुराम उर्फ लिलाधर दर्ज है के स्थान पर लिलाधर उर्फ लिलुराम का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफतर हों।</p>	


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

